GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 05 /2020

No. E(GP)2005/2/69

New Delhi, dt :-16.01.2020

The General Managers,
All Indian Railways and Production Units.

Sub: Amendment to IREM Volume I

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that the Indian Railway Establishment Manual Vol. I, Revised Edition-1989 (First Re-print Edition-2009), may be amended as in the Advance Correction Slip No. 271 enclosed.

M. Saluja
16/01/20
(Meenakshi Saluja)
Dy. Director/Estt.(GP)III
Railway Board

DA: Advance Correction Slip No. 271

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL
VOL. I (Revised Edition-1989, First Re-print Edition-2009)

ADVANCE CORRECTION SLIP No. 271

Chapter II, Section 'A'---Rules governing promotion of Group 'C' staff to Group 'B' posts.

1. **Para 203.1**

For the existing para 203.1, substitute the following:

Group 'C' employees working in Level 6 and above in Pay Matrix with 3 years of non-fortuitous service in Level 6 and above in Pay Matrix (including non-fortuitous service rendered in the corresponding pre-revised grade pay) are eligible for Group 'B' Selections(70% quota) in the departments having organised services.

For Selections for promotion to Group 'B' posts in Accounts department, Group 'C' employees fulfilling the abovementioned condition should also have qualified the Appendix-3 IREM Examination.

(Authority: Ministry of Railways' letter Nos. E(GP) 2019/2/25 dated 27.12.2019)

भारत सरकार/Government Of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड)/(Railway Board)

आरबीई सं. 05/2020

सं. ई(जीपी)2005/2/69 **नई दिल्ली, दिनांक :- 16.01.2020**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.

विषय : <u>भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द-I में संशोधन</u>.

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देते हैं कि भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द- I, संशोधित संस्करण-1989 (प्रथम पुनर्मुद्रित संस्करण-2009), में संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं 271 के अनुसार संशोधन किया जाए.

मीनाक्षी

(मीनाक्षी सलूजा)
उप निदेशक/स्था(राज. पदो.)III
रेलवे बोर्ड

<u>संलग्न</u> : <u>अग्रिम शुद्धि पर्ची सं</u> 271

भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द-I

(संशोधित संस्करण-1989, प्रथम पुनर्मुद्रित संस्करण-2009)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 271

अध्याय II, खंड 'क' --- समूह 'ग' कर्मचारियों की समूह 'ख' पदों पर पदोन्नति को शासित करने वाले नियम.

1. **<u>पैरा 203.1</u>**

मौजूदा पैरा 203.1 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :

समूह 'ग' के वे कर्मचारी, जिन्होंने पे मैट्रिक्स के लेवल 6 या उससे उपर के लेवल में 3 वर्ष की अनाकस्मिक सेवा की हो (तदनुरूपी पूर्व संशोधित ग्रेड पे में की गई अनाकस्मिक सेवा सहित)तथा पे मैट्रिक्स के लेवल 6 या उससे उपर के लेवल में कार्यरत हैं, संगठित सेवाओं वाले विभागों में समूह 'ख' में चयन (70% कोटा) हेतु पात्र हैं।

लेखा विभाग में समूह 'ख' में पदोन्नति के लिए चयन हेतु, उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले समूह 'ग' कर्मचारियों को परिशिष्ट-3 भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द-I परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी ।

(प्राधिकार : रेल मंत्रालय का दिनांक 27.12.2019 का पत्र सं. ई(जीपी) 2019/2/25)